05/8/22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उप०।
विप्रार्थीगण के समन तामील शुदा प्राप्त होने के बावजूद भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।
प्रार्थीगण वकील ने उक्त आवेदन पर बहस सुनने का निवेदन किया। प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसमे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

अतः तकसीम बन्दी आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:33:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थीगण		विप्रार्थीगण
1. लक्ष्मण पुत्र पेमा 2. चन्दाराम 3. जेताराम 4. भंवराराम पि. प्रेमाराम 5. लीलादेवी पत्नी वेरसीराम 6. वेरसीराम पुत्र लच्छाराम जातियान गरूड़ा निवासी फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	**बनाम**	1. खेता पुत्र प्रभु 2. किसना पुत्र गोमदा जाति जटिया 3. खंगारा पुत्र शेरा जाति गरूड़ा निवासी फागलिया 4. सगतसिंह पुत्र चनणसिंह जाति राजपूत 5. देवसिंह पुत्र चनणसिंह जाति राजपूत निवासी फागलिया 6. व्यवस्थापक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा सेडवा 7. राजरथान राज्य जरिये तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व** अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 79/2022 दिनांक : 05.08.2022

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फागलिया के मौजा फागलिया के खेत खसरा संख्या 694/260 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्ट. खसरा संख्या 687/260 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्ट. खसरा संख्या 695/260 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा
दिनांक 05/08/2022

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2022/1705-10

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थीगण लक्ष्मण पुत्र पेमा वगैरा।
3. विप्रार्थीगण खेता पुत्र प्रभु वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/[illegible]/धोरीमन्ना।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:33:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 79/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

लक्ष्मण वगैरा बनाम खेता वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील – करनाराम कड़वासरा

निर्णय

दिनांक – 05.08.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फागलिया के मौजा फागलिया के खेत खसरा संख्या 694/260 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्ट. खसरा संख्या 687/260 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्ट. खसरा संख्या 695/260 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फागलिया के मौजा फागलिया के खेत खसरा संख्या 694/260 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्ट. खसरा संख्या 687/260 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्ट. खसरा संख्या 695/260 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2022 को न्यायालय के खुले [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:33:43 IST
Reason: SelfAttested

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा